



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2893]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2016/अग्रहायण 17, 1938

No. 2893]

NEW DELHI, THURSDAY DECEMBER 8, 2016/AGRAHAYANA 17, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2016

आय-कर

का.आ. 3681(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना सं. 97/2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 3288 (अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ 1, पंक्ति 9 में “के अधीन गठित” शब्दों के स्थान पर “में निर्दिष्ट” शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 113/2016/फा. सं. 149/144/2015-टीपीएल (भाग II)]

अभिषेक गौतम, अवर सचिव (टीपीएल II)